R. 2918 / 7-11

प्र0

1. लीलाबाई पति स्व. एलमसिंह उम्र 60 वर्ष
2. ओमप्रकाश पिता स्व0एलमसिंह उम्र 40 वर्ष
3. सौदानसिंह पिता स्व.एलमसिंह उम्र 35 वर्ष
4. भोजराज पिता स्व.एलमसिंह उम्र 32 वर्ष
5. कपिल पिता स्व. एलमसिंह उम्र 28 वर्ष

समस्त जाति परमार, निवासीगण-पटलावदा तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0

-------- **निगरानीकर्ता**

प्रार्थी अभिभाषक श्री...
द्वारा प्रस्तुत 13/8/2014
दिनांक............ 13.8.14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

456
13/8/14.

बनाम

1. बद्रीप्रसाद पिता रूगनाथ उम्र 55 वर्ष जाति-परमार, निवासी ग्राम- पटलावदा तहसील-शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा ग्राम पटवारी पटलावदा

----- **विपक्षी**

(13)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2918--एक / 14 जिला -- शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4--10--14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया यह प्रकरण सीमांकन के विरूद्ध है । प्रकरण में जो पंचनामा है उसमें प्रश्नाधीन भूमि के संपूर्ण भाग पर आवेदकों का अवैध कब्जा पाया गया है इसके अतिरिक्त आलोच्य आदेश के साथ जो सूचनापत्र संलग्न है वह 5 व्यक्तियों को जारी किया गया है जिस पर तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं दो व्यक्तियों आवेदक ओमप्रकाश एवं कपिल के संबंध में यह उल्लेख है कि उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया । दर्शित परिस्थिति में आवेदक का यह कहना कि उसे सूचना नहीं दी गई, अभिलेख पर आधारित नहीं है । आवेदक अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं पाई जाती है । परिणामतः अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	